प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय
ओड़िशा, भुवनेश्वर– 751001

परिपत्र

विषयः वित्त वर्ष 2023–2024 (निर्धारण वर्ष 2024–25) के लिए वेतन से आयकर की कटौती ।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचाारियों के वेतन से वित्त वर्ष 2023–24 (निर्धारण वर्ष 2024–25) के लिए आयकर की कटौती माह नवम्बर 2023 से फरवरी 2024 तक के वेतन से की जानी है । अतः सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे अपने आयकर की स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत की दर से गणना कर बचत/अतिरिक्त आय का साक्ष्य दिनांक 15 नवम्बर 2023 तक कार्यालय स्थापना अनुभाग लेखापरीक्षा प्रथम में प्रस्तुत करें एवं पीएफएमएस में पुराने एवं नए आयकर रिजीम के संबंध में विकल्प का चयन करें । नए आयकर रिजीम के विकल्प का चयन करने वाले कार्मिकों को बचत का साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पणीः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त गृह किराया पावती/ इंश्योरेंस प्रीमियम रसीद/ हाउस लोन रिसीप पर ब्याज/बैंक स्टेटमेंट (सम्पत्ति का पिन नंबर के साथ पता) इत्यादि प्रस्तुत करें । ऐसे सभी दस्तावेजों के साथ एक अग्रेषण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए जिसमें प्रमाणपत्र "निर्धारण वर्ष 2024–25 के लिए आयकर में छूट के लिए मेरे द्वारा प्रस्तुत" के साथ पूर्ण हस्ताक्षर, सम्पर्क नंबर एवं जीपीएफ खाता संख्या अंकित होना चाहिए अन्यथा उस पर छूट हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।

हस्ता0/–

उप महालेखाकार/प्रशासन(लेखापरीक्षा प्रथम)

ज्ञापन संख्या का0 स्था0 (लेखापरीक्षा प्रथम) /आईटी/2023–24/234 दिनांक 08.11.2023

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है –

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) ओड़िशा, भुवनेश्वर
2. आशुलिपिक, उप महालेखाकार (प्रशासन) ओड़िशा, भुवनेश्वर
3. आशुलिपिक, उप महालेखाकार एएमजी प्रथम/एएमजी द्वितीय/ एएमजी तृतीय/ एएमजी चतुर्थएएमजी पंचम
4. कल्याण अधिकारी
5. शाखा अधिकारी प्रभारी प्रशासन/ ओएम प्रथम एवं द्वितीय/रिपोर्ट मुख्य/पीएसी/ईसीपीए/हिंदी/विधिक/प्र. एवं परी./आईटीए/गोपनीय प्रको./डीए एंड आरसी/एफएए/सम्पदा
6. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, डीए एंड आरसी
7. शाखा अधिकारी / एएमजी प्रथम/एएमजी द्वितीय/ एएमजी तृतीय/एएमजी चतुर्थ /एएमजी पंचम नियंत्रक अनुभाग अधिकारियों से अनुरेध है कि वे फील्ड पार्टी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस संबंध में सूचित करें ।
8. सहा0लेप.अ0/डीए एण्ड आरसी से अनुरोध है कि उक्त परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट एवं स्थानीय साइट पर अपलोड करें ।
9. नोटिस बोर्ड

दीपक महान्ति 08/11/23

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/का0 स्था0(लेखापरीक्षा प्रथम)